**श्री दुर्गानंद झा, अपर समाहता, मधुबनी द्वारा दिनांक– 03.10.2018 को अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी के न्यायालय का किये गये निरीक्षण की टिप्पणीः–**

---

श्री पुरेन्द्र कुमार सिंह दिनांक– 11.07.2018 से अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी के प्रभार में हैं। इसके पहले डॉ0 अभय कुमार, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बेनीपट्टी अपने कार्यो के अतिरिक्त अंचल अधिकारी के प्रभार में थे। श्री ललित कुमार सिंह दिनांक– 14.04.2015 से 02.05.2017 तक अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी के रूप में पदस्थापित थे।

**1– नीलाम पत्र वादः**

वाद पंजी संधारित है। नीलाम पत्र वादों की समीक्षा की गयी। कुल 280 नीलाम पत्र वाद अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी के न्यायालय में दायर है जो सभी भारतीय स्टेट बैंक से संबंधित है। उक्त वादों में कुल **मो0 7443547.00** की राशि सन्निहित है। मात्र 40 वाद निष्पादित हुये हैं जिसमें **मो0 1190416.00** की राशि की वसूली हुई है।

अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि नीलाम पत्र लंबित वादों की विधिवत् सुनवाई/समीक्षा करें। चूँकि एक ही बैंक शाखा का वाद चल रहा है इसलिए बैंक अधिकारी से संपर्क कर पंजी–ix का x का मिलान समय–समय पर अवश्य करना सुनिश्चित करें।

**2– ऑन लाईन दाखिल खारिजः–**

विभागीय निदेशानुसार ऑन लाईन दाखिल खारिज किया जाना है। अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि ऑन लाईन कुल 68 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है जिसके विरूद्ध 02 आवेदन अस्वीकृत हुआ। इस संबंध में बताया गया कि वांछित दस्तावेज के अभाव में अस्वीकृत हुआ है जिसकी सूचना एस0एम0एस0से आवेदक को दे दी गई है। सात आवेदन पर राजस्व कर्मचारी का प्रतिवेदन प्राप्त है **शेष** ऑन लाईन आवेदन कर्मचारी के लॉग ईन पर स्थानान्तरित हुआ है जो जॉच में है। निर्धारित समय–सीमा के अंदर ऑन लाईन आवेदन का निष्पादन हो जायेगा।

बेनीपट्टी अंचल में कुल 34 पंचायत है किन्तु मात्र 68 ऑन लाईन दाखिल खारिज का आवेदन प्राप्त होना, संदेह उत्पन्न करता है। स्पष्ट है कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा अपने–अपने पंचायत के मौजा/टोला में प्रचार–प्रसार नहीं किया गया है। अंचल अधिकारी को **निदेशित** किया गया कि व्यापक प्रचार–प्रसार राजस्वं कर्मचारी/पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य श्रोतों से सुनिश्चित करावें ताकि आम लोगों को इसकी जानकारी हो सके। अवर निबंधन कार्यालय/प्रखण्ड/अंचल/थाना/अनुमण्डल कार्यालय की सूचना पट्ट पर भी **प्रकाशित** कराया जाय ताकि आम लोगों को ऑन लाईन दाखिल खारिज आवेदन देने की जानकारी रहे। राजस्व कर्मचारियों को भी अपने स्तर से निदेशित करें कि ऑन लाईन दाखिल खारिज आवेदनों का त्वरित निष्पादन हेतु अपना प्रतिवेदन ससमय अंचल अधिकारी को सूपूर्द कर दें।

पूराने नामान्तरण वाद के संबंध में आई0टी0सहायक श्री प्रशंत कुमार ने बताया कि सभी अपलोड किया जा चुका है। कुल 3791 जमाबंदी अपलोड हुआ है।

**3– लगान निर्धारणः–**

लगान निर्धारण अभिलेख पंजी संधारित की गई है। अंचल में मात्र 02 आवेदन जॉच हेतु प्राप्त हुआ था जिसे भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भेज दिया गया है।

**4– साहुकारी अभिलेख पंजीः–** अभिलेख पंजी संधारित है। इस अंचल में मात्र पूराना 03 साहुकारी अनुज्ञप्ति निर्गत है। अंचल अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि अनुज्ञप्तिधारी ससमय अपना अनुज्ञप्ति नवीकरण करा रहे हैं या नहीं।

अंचल अधिकारी ने बताया कि पचास हजार तक के कारोबार करने हेतु अनुज्ञप्ति देने हेतु अंचल अधिकारी को शक्ति प्रदत्त है।

**5– अतिक्रमणः–**

अभिलेख पंजी संधारित है। कुल 10 मामले दायर है जिसके विरूद्ध 09 का निष्पादन किया गया है। मात्र एक प्रकियाधीन है। निदेशित किया गया कि अतिक्रमण के मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाय।

**6– न्यूनतम मजदूरीः–**

अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी द्वारा बताया गया कि माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार दिल्ली से उद्भूत 100 व्यक्तियों का न्यूनतम मजदूरी वाद दायर हुआ जिसमें से 04 निष्पादित हुआ शेष 96 में सुनवाई चल रही है।

**7– नांपीः–**

आवेदन पत्र पंजी संधारित है। समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल 30 आवेदन नांपी के प्राप्त हुये जिसमें से 20 में नांपी किया जा चुका है शेष 10 लंबित है जो प्रकियाधीन है। अंचल अधिकारी ने बताया कि रैयती भूमि मामलों में दोनों पक्षों को सूचना देकर जॉच कर नांपी करायी जाती है ताकि विधि–व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नही हो।

**8– ऑपरेशन दखल दिहानीः–**

समीक्षा के कम में पाया गया कि कुल सर्वेक्षित 6553 के विरूद्ध सभी पर्चाधारियों को दखल दिलाया जा चुका है। ऑपरेश्न दखल दिहानी का कोई भी मामला लंबित नहीं है।

**9– अभियान बसेराः–**

कुल 323 सर्वेक्षित परिवारों के विरूद्ध 93 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराया जा चुका है शेष 230 को वासभूमि उपलब्ध कराने की दिशा में कोई ठोस प्रस्ताव राजस्व कर्मचारियों के द्वारा नहीं दिया गया है, यह खेद का विषय है। अंचल अधिकारी को निदेशित किया गया कि एक सप्ताह के अंदर ठोस निर्णय लें कि अभियान बसेरा के तहत सर्वेक्षित अवशेष परिवारों को बास भूमि बासगीत पर्चा, बंदोवस्ती या कय नीति से दिया जाय। यदि सरकारी भूमि उपलब्ध है तो प्राथमिकता के आधार पर उन्हें दिलाया जाय यदि सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं हो तो इस आशय का प्रमाण पत्र राजस्व कर्मचारी से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार कय नीति के तहत भूमि देने हेतु आवंटन की मांग हेतु अधियाचना जिला को उपलब्ध करावें।

**10– वासगीत पर्चाः–**

अभिलेख पंजी संधारित किया गया है एक भी वासगीत पर्चा का मामला लंबित नहीं बताया गया। साप्ताहिक बैठक में अंचल अधिकारी इसकी गहन समीक्षा करें।

**11– अन्यान्यः–**

पंजियों का संधारण उचित ढ़ंग से करने का निदेश दिया गया। राजस्व कर्मचारियों को भी निदेशित किया गया कि सभी पंजी अद्यतन रखें ताकि निरीक्षी पदाधिकारी को निरीक्षण में कठिनाई नहीं हो। एक पंजियों की पंजी भी संधारित करें जिसमें सभी पंजियों की विवरणी अंकित रहे। अंचल अधिकारी अपने कार्यालय के साथ–साथ हल्का कार्यालयों में भी सुनिश्चित करावें। अंचल अधिकारी अपने अधीनस्थ हल्का का निरीक्षण करें। टिप्पणी की प्रति अनुमण्डल एवं जिला में भेजें।

10.12

अपर समाहर्त्ता,
मधुबनी।

ज्ञाप संख्या 2717 /जि०रा० मधुबनी दिनांक 08/10/2018

प्रतिलिपिः–

1– अंचल अधिकारी, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2– अनुमण्डल पदाधिकारी/भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपट्टी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी/सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता, मधुबनी जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यकय कार्यार्थ प्रेषित।

4– आयुक्त के सचिव, दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा को सूचनार्थ प्रेषित।

5– समाहर्ता, मधुबनी की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

8.10.18

अपर समाहर्ता,
मधुबनी।